YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर–302033 फोन नं. 0141– 2796625 मेल– DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकः प्रति.–2/न.क.नियु.–2013/पार्ट II–18/2020/ 1089 दिनांकः– 13-7-2020

आदेश

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम–1966 संशोधित नियम–2010 एवं संशोधित नियम–2013 के अन्तर्गत कनिष्ठ नर्स/कम्पा. कुल 127 नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2013 दिनांक 14.08.2013 की चयन प्रक्रिया में 122 पदों की नियुक्ति पश्चात शेष रहे पदों में से चयन प्रक्रिया पश्चात् प्रशासनिक विचाराधीन नियुक्ति 01 पद तथा माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों की अनुपालना में रिक्त रखे गये 04 पदों में से याचिका संख्या 13269/2018 में पारित निर्णय व उक्त प्रार्थीया द्वारा दायर विचाराधीन याचिका संख्या 17832/2019 के अध्याधीन नियुक्ति 01 पद तथा 8678/2018 में पारित निर्णय व उक्त में विचाराधीन अवमानना याचिका संख्या 1081/2019 के अध्याधीन नियुक्ति 01 पद, **कुल 03 कनिष्ठ नर्स–कम्पा. पदों पर** वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ15 (1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पद की पे मेट्रिक्स एल–10 में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) मासिक नियत पारिश्रमिक (फिक्स रिमूनरेशन) 23700/–रूपये (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रूपये मात्र) पर निम्नलिखित शर्ताधीन नियुक्ति प्रदान करते हुये पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	संवर्ग	चयन संवर्ग	PHN/PHY	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	विजय लक्ष्मी	श्री शिव कुमार	03.09.1989	Female	SC	SC	PHN	रा.यूनानी.औष. चूरू	Under Writ petition SBC Writ Pt. 13269/2018 And 17832/2019
2	मदीना बानो	श्री नानू खां	01.07.1989	Female	OBC_NC Fe_div.	Fe_div.	PHN	रा.यूनानी.चिकि. चारदरवाजा–जयपुर	Under Writ petition SBC Writ Pt. 8678/2018 And DB Spl. Appl. 1542/2019 SB Civil Contempt 1081/2019
3	बाली कुमारी रैगर	श्री मदन लाल रैगर	03.07.1987	Female	SC Fe_div.	Fe_div.	PHN	रा.यूनानी. चिकि. गंज–अजमेर	

उक्त पदस्थापन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन जारी किये जा रहे है :–

1. उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय जयपुर तथा जोधपुर में विचाराधीन एस.बी.सी. रिट याचिका सं. 8765/2018 वर्षा रानी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सी. रिट सं. 12150/2018 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 8690/2018 विजय कुमार शर्मा बनाम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 8837/2018 मोहन लाल करोत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 10427/2018 रतीस कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 9484/2018 राजेश कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 24559/2018 रामबाबू स्वर्णकार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मेट्रिक्स के लेवल–10 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

E/Establishment 2

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

3. अभ्यार्थी बाली कुमारी रैगर पुत्री श्री मदन लाल रैगर को कार्यग्रहण करते समय गृह जिले के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण, सेवा नियमों में उल्लेखित सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र, संतान संबधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान, दहेज संबधी शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (दो पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी) कॉलेज द्वारा जारी चरित्र प्रमाण मूल प्रतियॉ तथा समस्त शैक्षणिक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ कार्यग्रहण से पूर्व निदेशालय में जमा/सत्यापित करवानी होगी। शेष अन्य 02 अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
4. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगें साथ ही दोषी के विरूद्व न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जायेगी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को शपथ पत्र (यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया है) प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भी प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा एवं वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागीदार होगा।
5. उक्त नियुक्ति संबधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन होगी।
6. यदि नव पदस्थापित कर्मी पूर्व में अन्यत्र (विभागीय कर्मचारी/संविदा) कार्यरत रहा हो तो अपने पूर्व पदस्थापित स्थान से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन पर उपस्थिति देंगें तथा एन.ओ.सी. प्राप्त कर निदेशालय में जमा करानी अनिवार्य होगी।
7. उक्त परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थियों को नियत पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा ।
8. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2)विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2015 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगें।
9. परिवीक्षा की समयावधि में कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर राज्य सेवा/विभाग इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगा।
10. उक्त समस्त अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की कार्यग्रहण अवधि में निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर में बिन्दु सं. 03 के अनुसार प्रस्तुत किये गये वांछित दस्तावेज नियमानुसार उचित पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा। निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर में कार्यग्रहण करने की दिनांक को ही कार्यग्रहण दिवस माना जायेगा। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ नजम जकी)
निदेशक

क्रमांकः प्रति.–2/न.क.नियु.–2013/पार्ट II–18/2020/ 1889 दिनांकः– 13-7-20

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. कुल सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्न राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
3. निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक विभाग, जयपुर।
5. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, कार्यालय हाजा।
7. संबंधित अभ्यार्थी .... ।

(डॉ नजम जकी)
निदेशक

E/Establishment 2